रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2631] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941
No. 2631] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

## नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

**का.आ. 2890(अ).**—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920(अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई थी, जिसकी समयावधि इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश जारी करके बढ़ाई गई थी।

2. और यतः पुरानी परियोजनाओं में मॉड्यूलों को बदलने की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए प्रमाणन की छूट के मामले का विश्लेषण किया गया था और प्रति परियोजना 2 मॉड्यूलों तक बदलने के लिए छूट की अनुमति दिनांक 13.07.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 3449(अ) के तहत प्रदान की गयी थी। इस प्रावधान को प्रति मेगावाट 2 मॉड्यूल तक बदलने के लिए बीआईएस प्रमाणन से प्रदान की जा रही छूट के साथ संशोधित मान लिया गया है बशर्ते कि उक्त आदेश और परीक्षण रिपोर्ट में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप वैध आईईसी प्रमाणपत्र हों। यदि अधिक मॉड्यूल की बदली की जानी है तो विनिर्माताओं को भारतीय मानकों के तहत परीक्षण प्रयोगशालाओं में उत्पाद का परीक्षण कराना होगा। इस क्लॉज़ के तहत छूट प्राप्त करने के प्रयोजन से इस मंत्रालय से विशिष्ट छूट अपेक्षित होगी।

[फा. सं. 313-12 /10/2019-गुणवत्ता नियंत्रण]

डॉ. बी.एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

## MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

**S.O. 2890(E).—**Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" vide S.O 2920 (E) dated 5 September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018, the period of which was extended through a number of orders issued by this Ministry from time to time.

2. And whereas the issue of exemption of BIS certification for projects requiring replacement of modules in the old projects was analyzed and exemption for replacement up to of 2 modules per project was allowed vide 3449(E) published in Gazette of India on 13.07.2018. The same provision stands revised with exemption from BIS certification being allowed for replacement up to 2 modules per MW, provided the same have valid IEC certificates corresponding to Indian Standards listed in the said order and test reports. If the replacement is more, the manufacturers will have to get the product tested in test labs as per Indian Standards. For the purpose of getting exemption under this clause, a specific exemption from this Ministry would be required.

[F. No. 313-12/10/2019-R&D Coord(Quality Control)]

Dr. B. S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.09 22:47:37 +05'30'